भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1887

उत्तर देने की तारीख : 11.03.2025

दिव्यांगजन के लिए शैक्षणिक और रोजगार आधारित प्रोत्साहन

1887.श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश में दिव्यांगजनों के लिए शैक्षणिक और रोजगार आधारित प्रोत्साहन/सहायता के संबंध में सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित) की सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं से लाभान्वित दिव्यांगजनों की आंध्र प्रदेश और प्रकाशम जिले सहित राज्यवार और जिलावार कुल संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल निधि का आंध्र प्रदेश और प्रकाशम जिले सहित राज्यवार, जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने देश की योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई प्रचार गतिविधियां/अभियान चलाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग) : सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया था जो दिनांक 19.04.2017 से प्रभावी हुआ था। दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों को अधिकार और हकदारियां प्रदान की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, समानता का अधिकार, गैर-भेदभाव, क्रूरता और शोषण से बचाव, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुंच, मतदान तक पहुंच, विधिक क्षमता, विधिक संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा,

रोजगार, कौशल विकास, कला, खेल, मनोरंजन, संस्कृति तक पहुंच तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी शामिल हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 34 में बेंचमार्क (40% या उससे अधिक) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 32 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण प्रदान करती है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 37 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए गरीबी उन्मूलन और विकासात्मक योजनाओं में 5% आरक्षण सुनिश्चित करती है।

यद्यपि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत देना राज्य सूची का विषय है, शिक्षा और रोजगार आधारित समर्थन के संबंध में केन्द्र सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं अर्थात् 'दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)', 'छात्रवृत्ति योजना' और 'दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है।

(i) **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):-** दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत, स्वैच्छिक संगठनों को बच्चों में प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पाल्सी) सहित दृष्टि, श्रवण और बौद्धिक दिव्यांगता आदि से प्रभावित बच्चों के लिए विशेष स्कूल सहित दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके इष्टतम, शारीरिक और संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तर को बनाए रखने में सक्षम बनाना है।

इस योजना से आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले सहित राज्य-वार लाभान्वित दिव्यांगजनों की कुल संख्या और निधि से उपयोग की गई राशि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ii) **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं:** इस योजना के अंतर्गत, सरकार दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां जैसे प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए), पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तर तक), उच्चतम श्रेणी की शिक्षा (अधिसूचित संस्थानों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए), राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए) और विदेश में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (विदेशी

विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री/पीएचडी के लिए) प्रदान करती है। छात्रवृत्ति राशि डीबीटी मोड के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में सीधे जारी की जाती है।

इस योजना से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले सहित राज्यवार लाभान्वित दिव्यांगजनों की कुल संख्या और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह विभाग न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले छात्रों को कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग (छात्रवृत्ति योजना की व्यापक योजना का एक घटक) कार्यान्वित कर रहा है ताकि वे सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित होने और विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए योग्य बन सकें। यह योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले राष्ट्रीय संस्थानों, समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आने वाले पैनलबद्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों और दिव्यांगजनों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

अब तक, दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग के तहत 81 दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए 20 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

(iii) **दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने वर्ष 2015 में दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) शुरू की थी ताकि राष्ट्रव्यापी सूचीबद्ध सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से 15-59 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों के बीच कौशल, रोजगार प्राप्त करने की क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। कौशल और रोजगार के प्रयासों को कारगर बनाने के लिए सितंबर 2023 में, **पीएम-दक्ष पोर्टल-डीईपीडब्ल्यूडी** को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया था इसमें दो मॉड्यूल शामिल हैं: **दिव्यांगजन कौशल विकास -** कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, और **दिव्यांगजन रोज़गार सेतु,** जो भारत में निजी कंपनियों में जियो-टैग किए गए रोजगार के अवसरों से दिव्यांगजनों को जोड़ता है। एनएपी-एसडीपी योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को निधि सीधे नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त, यह एक मांग आधारित योजना है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में पैनलबद्ध संगठनों को उनकी मांगों/प्रस्तावों के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। अलग से कोई बजटीय आबंटन नहीं किया जाता है। एनएपी के लिए बजटीय प्रावधानों से नोशनल रूप से निधि आवंटित की जाती है।

इस योजना के शुरू होने के बाद से, एनएपी-एसडीपी के तहत आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिले में रहने वाले दिव्यांगजनों सहित 1.42 लाख दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु 156.94 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है।

इसके अलावा, इस विभाग के अंतर्गत **नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी)** दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है। एनडीएफडीसी की प्रमुख योजनाओं में **दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई)** जिसके अंतर्गत आय सृजन, शिक्षा, या सहायक उपकरणों के लिए **₹** 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है और **विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई)** जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों और साझेदार एजेंसियों के माध्यम से छोटे व्यवसायों के लिए **₹** 60,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है, शामिल हैं।

एनडीएफडीसी की योजनाओं से आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले सहित राज्य-वार लाभान्वित दिव्यांगजनों की कुल संख्या और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ) : विभाग देश भर में "जागरूकता सृजन और प्रचार योजना (एजीपी)" का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना और दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में अपने कर्मचारियों और समकक्ष समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दिव्यांगता से संबंधित मामलों पर राज्य/जिला/ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से नियमित आधार पर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और सुग्राही बनाना है। दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजनों को मंच प्रदान करने के लिए एजीपी के तहत दिव्य कला मेले आयोजित किए गए हैं। दिव्यांग कलाकारों की असाधारण प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए, विभाग "दिव्य कला शक्ति" नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें विभिन्न राज्यों, सांस्कृतिक समाजों, संस्थानों, विभिन्न दिव्यांगताओं वाले सिविल समाजों के दिव्यांग कलाकार भाग लेते हैं। देश भर में अब तक 24 दिव्य कला मेलों और 21 दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया जा चुका है।

****

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर हेतु "दिव्यांगजन के लिए शैक्षणिक और रोजगार आधारित प्रोत्साहन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1887 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध- I

पिछले 6 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में डीडीआर योजना के तहत लाभान्वित दिव्यांगजनों की कुल संख्या और जारी की गई कुल राशि निम्नानुसार है-

वर्ष	जारी की गई निधि (लाख में)	लाभान्वित दिव्यांगजन
2018-19	83.08	508
2019-20	260.77	541
2020-21	205.19	351
2021-22	219.80	448
2022-23	268.49	442
2023-24	262.67	442
2024-25 (07.3.2025 की स्थिति के अनुसार)	259.96	425
कुल	**1559.98**	**3157**

पिछले 9 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीआर योजना के अंतर्गत लाभान्वित दिव्यांगजनों की कुल संख्या और जारी की गई कुल राशि का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है-

क्र. सं.	राज्य का नाम	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (07.03.2025 की स्थिति के अनुसार)	
		राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या.	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	826.83	5645	763.14	5284	1101.15	5635	1452.75	7268	2663.05	6187	1639.88	5620	1779.89	4620	2648.41	5605	2851.56	4604	2066.74	4419
2	अरुणाचल प्रदेश	6.74	0	9.64	0	1.58	30	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	88.92	341	94.01	206	88.98	249	90.86	469	124.72	603	90.70	248	167.76	488	261.34	753	136.87	327	167.12	237
4	बिहार	62.03	413	25.16	521	80.58	406	43.87	323	23.67	53	0.00	0	41.89	55	33.54	69	68.65	111	42.77	83
5	छत्तीसगढ	47.49	281	17.51	372	24.30	258	40.64	229	49.78	187	1.63	110	47.58	110	0	0	0	0	74.14	158
6	दिल्ली	197.81	1444	82.16	811	196.37	1329	29.62	369	32.65	501	247.67	685	162.74	615	185.51	937	166.89	688	333.90	714
7	गोवा	8.87	138	4.89	86	0.00	0	0.59	70	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0		
8	गुजरात	47.24	672	32.2	456	58.85	680	97.44	762	131.96	864	43.32	378	120.66	447	72.77	437	95.19	187	94.17	215
9	हरियाणा	117.94	642	116.24	824	119.50	945	130.74	935	154.81	512	140.19	505	101.99	292	128.93	444	174.61	377	75.74	185
10	हिमाचल प्रदेश	20.53	68	24.16	49	24.84	105	55.72	100	71.77	302	69.20	212	67.15	144	69.05	89	84.13	119	87.76	154
11	जम्मू और कश्मीर	9.58	0	3.25	58	0.68	28	5.79	43	4.53	81	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
12	झारखंड	2.45	58	0.94	70	0.00	0	1.59	0	10.39	64	0.00	0	0.00	0	26.09	0	0	0	0	
13	कर्नाटक	77.52	684	96.73	518	83.86	866	86.05	675	41.31	339	81.30	373	135.60	389	139.92	685	73.73	104	94.88	294
14	केरल	362.25	2829	446.16	3302	574.32	3170	584.86	3780	611.82	2112	628.30	1656	725.30	1883	762.41	2081	455.20	1549	1412.67	3429
15	लद्दाख	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.44	0	0	
16	मध्य प्रदेश	132.69	1075	99.75	1016	148.04	1320	162.96	1389	155.5	639	248.31	822	325.57	682	382.72	803	484.55	764	240.85	710

17	महाराष्ट्र	141.47	874	221.47	845	321.64	1085	202.21	836	342.21	3036	180.11	2049	71.46	1677	383.87	523	311.19	1354	49.33	0
18	मणिपुर	284.38	1329	270.91	1287	448.30	1992	525.16	3209	974.01	2597	596.24	1523	741.55	1478	1016.29	2681	946.48	1942	765.03	1801
19	मेघालय	45.86	492	65.16	462	23.21	485	54.32	645	32.59	443	105.37	322	29.64	84	101.76	361	87.86	352	139.21	392
20	मिजोरम	11.25	215	7.38	221	9.44	42	19.88	153	33.9	168	11.73	20	0.00	0	29.22	61	17.26	60	23.18	86
21	नागालैंड	0.41	29	0	0	0.00	0	2.49	30	2.48	30	26.32	47	0.00	0	30.36	60	46.83	48	23.76	53
22	ओडिशा	445.1	2462	329.31	2183	526.93	2822	732.76	3143	1001.05	3239	789.16	5953	1457.59	5306	929.80	4776	1382.09	2067	1050.33	2145
23	पंजाब	46.23	416	68.95	976	86.58	830	45.54	595	133.65	588	98.92	272	149.27	505	168.06	682	211.68	697	243.14	643
24	राजस्थान	139.18	1030	136.12	1051	188.63	1353	152.21	1780	261.6	1096	150.58	370	286.26	528	239.28	546	320.06	513	244.74	422
25	सिक्किम	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	234.29	1528	98.77	959	216.42	1087	272.19	1368	191.9	786	208.25	706	137.06	1267	184.70	1320	312.15	1052	214.61	1036
27	त्रिपुरा	1	30	12.09	140	2.84	70	0.27	70	0	0	0.00	0	0.00	0	15.57	44	51.67	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	550.16	4130	376.19	4284	557.57	3874	760.28	4623	1018.59	4105	1335.24	3580	1389.36	3604	1147.75	3249	1653.52	3017	1846.49	3934
29	उत्तराखंड	41.47	474	28.01	319	26.52	248	28.65	320	84.07	197	102.68	144	68.67	142	87.29	125	80.48	62	95.38	184
30	पश्चिम बंगाल	304.34	2711	361.66	2466	384.90	1840	365.88	2417	335.46	3621	336.31	1935	606.89	1389	811.67	4424	782.79	7162	554.50	8146
31	तेलंगाना	750.13	5334	700.88	5557	685.37	4874	1014.16	5968	1646.76	5513	1168.25	3932	1439.72	4397	1527.48	4389	2121.26	3271	154.61	3006
32	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0		
33	चंडीगढ़	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0		
34	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0		
35	दमन और दीव	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0		
36	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0		
37	पुदुचेरी	14.83	117	7.16	108	18.36	106	40.42	234	32.61	141	18.48	80	35.89	71	85.27	205	80.65	162	60.04	158
कुल		**5018.99**	**35461**	**4500.00**	**34431**	**5999.77**	**35729**	**6999.90**	**41803**	**10166.84**	**38004**	**8318.15**	**31542**	**10089.47**	**30173**	**11469.06**	**35349**	**12997.78**	**30589**	**10155.22**	**32604**

अनुबंध- II

पिछले 10 वर्षों के दौरान **छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों** और किए गए **व्यय का विवरण**

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1	0.01	74	3.40	144	4.55	221	3.86	233	6.12	217	3.91	628	5.24	201	2.42	1343	4.75	3070	6.26	625	3.45
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	21	0.05	2	0.00	8	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	असम	0	0.00	3	0.07	30	0.21	115	0.52	8	0.27	150	0.81	1089	2.15	19	0.75	783	2.02	71	0.67	322	1.07
5	बिहार	0	0.00	16	0.83	42	0.94	430	1.72	409	2.28	1247	3.84	1771	6.56	902	3.68	2278	9.05	1257	5.43	1441	11.94
6	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	25	0.02	3	0.00	11	0.01	4	0.45	17	0.40	1	0.08	34	0.03	90	0.19	343	0.75
7	छत्तीसगढ	0	0.00	3	0.20	9	0.14	120	0.17	275	0.49	417	0.71	344	0.68	7	0.13	1125	1.53	612	3.01	456	0.76
8	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	1	0.00	4	0.00	2	0.00	0	0.00	8	0.01	1	0.00	15	0.01	28	0.03	5	0.01
9	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	2	0.00
10	दिल्ली	1	0.01	5	0.26	144	0.75	25	0.85	394	1.85	337	2.24	476	1.99	8	1.14	313	1.03	502	1.66	149	1.29
11	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.01	0	0.00	11	0.02	6	0.04	26	0.06	25	0.04	26	0.03
12	गुजरात	0	0.00	7	0.14	56	0.55	132	0.47	674	1.80	310	1.12	250	1.27	1379	3.24	1577	2.76	1240	2.56	1034	2.63
13	हरियाणा	0	0.00	12	0.54	56	0.61	76	0.70	143	0.94	252	0.92	239	0.90	111	0.57	275	1.07	285	1.29	136	0.95
14	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	2	0.07	39	0.11	106	0.20	144	0.32	94	0.36	142	0.38	78	0.49	186	0.58	179	1.31	204	1.09
15	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	2	0.06	5	0.23	155	0.45	400	1.11	229	1.30	206	1.01	545	2.44	594	1.77	547	1.88	291	2.18
16	झारखंड	0	0.00	8	0.27	8	0.25	117	0.56	53	0.47	665	1.71	286	1.20	99	0.79	145	0.99	762	8.32	331	3.43
17	कर्नाटक	0	0.00	14	0.58	107	1.22	2564	4.42	1009	2.77	1686	4.81	1100	5.05	1239	5.44	3331	16.93	3026	16.29	3428	23.20

18	केरल	0	0.00	3	0.07	1207	1.29	829	1.35	2415	2.64	2873	3.76	3669	5.48	4192	4.10	5095	7.22	4932	7.62	3992	6.29
19	लद्दाख	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	मध्य प्रदेश	0	0.00	6	0.27	309	0.80	6574	6.26	6422	6.42	5090	7.59	5429	9.04	4003	4.60	5661	9.73	8765	18.03	1293	3.93
22	महाराष्ट्र	0	0.00	18	0.89	83	1.36	326	1.91	93	2.61	863	2.98	1082	4.04	459	2.49	1490	5.83	691	5.99	1757	6.73
23	मणिपुर	0	0.00	2	0.04	29	0.15	3	0.00	30	0.08	0	0.00	12	0.03	7	0.01	0	0.00	32	0.11	27	0.16
24	मेघालय	0	0.00	0	0.00	3	0.00	60	0.07	27	0.05	9	0.02	0	0.00	0	0.00	6	0.06	5	0.01	22	0.05
25	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	33	0.04	35	0.08	2	0.00	26	0.04	5	0.00	11	0.02	12	0.14	2	0.07
26	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	0.02	5	0.01	0	0.00	0	0.00	45	0.05	6	0.01	2	0.00	7	0.01
27	ओडिशा	4	0.02	16	0.73	1911	1.93	629	1.16	2307	3.80	2076	4.88	3341	7.45	1495	3.01	2699	5.40	3168	6.11	1467	4.36
28	पुदुचेरी	1	0.01	3	0.12	7	0.26	5	0.14	22	0.23	33	0.20	79	0.39	27	0.27	95	0.29	46	0.30	7	0.39
29	पंजाब	0	0.00	2	0.11	54	0.42	72	0.34	106	0.80	531	0.93	444	1.23	1019	1.55	1393	2.12	1094	1.74	608	2.35
30	राजस्थान	0	0.00	4	0.16	77	0.51	125	0.70	725	2.03	1222	2.75	1567	3.95	76	1.43	1856	4.08	1084	3.54	1007	3.51
31	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	12	0.01	55	0.04	13	0.04	3	0.00	7	0.05	3	0.00	3	0.00	1	0.00	1	0.00
32	तमिलनाडु	1	0.00	31	1.11	51	1.95	189	0.64	1260	2.09	1506	3.59	1181	4.42	2000	5.26	4384	9.15	6448	13.46	4046	10.69
33	तेलंगाना	0	0.00	0	0.00	27	0.43	108	1.13	135	2.07	138	1.64	328	1.84	95	6.05	1340	6.40	2936	8.86	879	6.76
34	त्रिपुरा	0	0.00	1	0.02	2	0.12	262	0.28	192	0.38	81	0.23	159	0.36	66	0.10	186	1.19	245	0.48	329	1.86
35	उत्तराखंड	0	0.00	0	0.00	42	0.05	3	0.003	1	0.05	37	0.17	391	1.48	142	0.46	259	0.96	229	1.05	64	0.45
36	उत्तर प्रदेश	6	0.04	58	2.69	1898	4.75	703	5.63	2756	11.25	5564	25.59	18205	45.73	7177	36.76	5115	32.90	2318	24.33	4477	24.86
37	पश्चिम बंगाल	1	0.01	16	0.60	96	1.41	760	2.13	892	3.42	4722	9.71	485	2.18	660	4.42	512	3.49	459	4.49	596	5.22

****

अनुबंध- III

<u>एनडीएफडीसी</u>

पिछले दस वित्तीय वर्षों के दौरान एनडीएफडीसी द्वारा जारी निधि और लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)
(06.03.2025 की स्थिति के अनुसार)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.20	1	17.69	2	0.00	0	0.00	0
2	आंध्र प्रदेश	9.83	2	6.49	1	5.59	2	700.00	700	1.19	1	2500.00	6764	1501.72	1098	0.00	0	1922.83	3575	224.52	166	517.46	501
3	असम	0.00	0	17.28	1	125.00	125	50.00	50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.25	1	18.85	16	22.00	21	20.00	20
4	बिहार	0.00	0	523.00	523	3.97	1	0.00	0	4.97	4	5.22	2	6.02		6.88	1	5.20	2	0.00	0	1.19	1
5	चंडीगढ़	1.60	7			4.90	22	4.20	18	7.85	37	7.40	30	1.75	7	2.25	9	2.50	10	3.00	12	29.46	12
6	छत्तीसगढ़	1654.56	1074	936.27	842	1762.41	1671	827.50	827	827.50	827	0.00	0	0.00	0	205.00	119	1.45	0	3.66	1	80.66	12
7	दिल्ली	16.53	1	15.78	4	19.00	15	33.72	23	33.10	13	83.98	29	19.12	2	26.88	85	58.82	101	98.84	16	78.68	9
8	गोवा	0.00	0	5.99	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	10.36	1
9	गुजरात	0.00	0	245.00	245	1070.91	1045	300.00	300	150.00	150	355.00	351	55.00	51	380.41	378	29.48	1	100.00	100	172.04	153
10	हरियाणा	606.00	708	611.94	602	630.22	613	1323.58	1311	1309.00	1300	20.17	3	1369.17	1316	1311.33	1309	1389.11	1372	505.14	457	586.29	552
11	हिमाचल प्रदेश	574.48	546	446.29	419	224.91	204	200.00	200	250.00	250	300.00	300	400.00	400	500.00	500	500.00	500	700.00	700	308.45	302
12	जम्मू और कश्मीर	343.50	378	172.00	172	350.00	350	254.00	254	775.00	624	987.57	976	153.88	144	737.50	737	614.65	615	846.50	826	10.36	1
13	झारखंड	50.00	50	173.39	173	200.00	200	301.33	301	117.45	102	100.00	100	5.00	5	100.00	100	94.18	55	16.49	3	0.00	0
14	कर्नाटक	4.00	1	4.00	1	5.64	1	0.00	0	1.26	1	1.12	1	0.25	1	0.00	0	25.46	4	9.18	2	5.70	1
15	केरल	324.00	420	345.90	345	444.00	444	534.85	525	717.15	705	1058.00	1055	4504.00	4504	2263.50	2254	1.70	0	2007.22	2002	2588.65	2570
16	लक्षद्वीप	20.00	20	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	40.00	40			19.00	19	19.00	4	31.50	7
17	मध्य प्रदेश	35.94	17	1.44	1	308.72	302	7.10	1	10.00	1	20.64	3	125.63	86	82.09	36	59.80	24	12.90	2	29.65	4
18	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	33.52	19	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
19	महाराष्ट्र	2225.82	1574	3072.61	2969	616.80	573	18.04	6	16.12	5	12.65	3	10.53	1	3.98	2	18.90	3	573.35	561	952.34	782
20	मेघालय	100.00	100	50.00	50	50.00	50	50.00	50	70.00	35	50.00	50	20.00	20	50.00	50	0.00	0	30.00	30	30.00	30
21	मिजोरम	0.00	0	4.25	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	20.00	20	21.00	21	26.00	26	0.00	0	0.00	0
22	नागालैंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.40	2	0.00	0	0.00	0	0.00	0
23	उड़ीसा	1.27	1	0.00	0	0.00	0	5.00	20	0.00	0	0.00	0	9.22	1	1.75	1	0.00	0	32.81	3	14.53	1
24	पांडिचेरी	418.36	520	268.39	329	207.70	332	301.52	300	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25	पंजाब	125.00	190	0.00	0	146.50	146	16.35	12	92.65	84	139.00	136	113.00	113	94.82	107	162.73	166	80.99	58	44.27	32
26	राजस्थान	356.09	196	579.32	200	814.16	241	470.28	250	816.84	813	1025.37	1017	619.94	601	1224.78	1202	1237.62	1203	1200.00	1200	26.71	5
27	सिक्किम	50.00	50	100.00	100	100.00	100	100.00	100	100.00	50	0.00	0	21.00	21	50.00	50	50.00	50	100.00	100	100.00	100
28	तमिलनाडु	2999.22	8586	3005.00	11001	1500.64	7501	3000.00	6000	2005.56	4002	2501.26	5001	3000.00	6000	3000.00	6000	4500.36	9000	4506.25	9002	4005.06	8002
29	तेलंगाना	0.00	0	1.50	1	0.00	0	0.00	0	5.00	1	0.00	0	1000.00	3485	1000.00	3485			24.85	2	61.53	3
30	त्रिपुरा	200.00	200	50.00	50	100.00	100	100.00	100	100.00	50	0.00	0	70.25	70	0.00	0	55.00	55	64.05	16	0.00	0
31	उत्तर प्रदेश	0.00	0	2452.65	2501	2009.87	2013	366.62	369	2106.78	2104	2112.14	2075	287.28	337	204.84	263	1360.53	1853	1148.22	1216	277.82	275
32	उत्तराखंड	0.00	0	0.00	0	50.00	50	50.00	50	46.50	42	37.00	37	0.50	1	6.83	0	5.37	3	6.23	4	29.11	5
33	पश्चिम बंगाल	32.49	62	20.00	20					1.00	1	5.20	2	8.55	2	0.00	0	5.47	0	0.00	0	30.37	3
	कुल	**10148.69**	**14703**	**13108.49**	**20552**	**10750.94**	**16101**	**9014.09**	**11767**	**9598.44**	**11221**	**11321.72**	**17935**	**13361.81**	**18326**	**11274.69**	**16713**	**12182.70**	**18655**	**12335.20**	**16504**	**10042.19**	**13384**

****